उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून उत्तराखण्ड।

अपील संख्या : A(D)18326/2015
अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम 2005

समक्ष : राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

अपीलकर्ता : श्री पी0सी0 शर्मा, एडवोकेट निवासी–378, मदन मोहन मानवीय मार्ग अमृतसर–143001

बनाम

प्रतिवादीः 1. लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून उत्तराखण्ड।
2. अपीलीय अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, प्र0 देहरादून।

आदेश

यह द्वितीय अपील **श्री पी0सी0 शर्मा** द्वारा लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून उत्तराखण्ड तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, प्र0 देहरादून के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि उन्होंने अपने मूल अनुरोध पत्र दिनांक 20/11/2014 द्वारा लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून उत्तराखण्ड से जिन 02 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था वह उन्हें लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक शून्य को उपलब्ध करवाई गई। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20/02/2015 को प्रथम अपील दायर की गई। विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2015 से संतुष्ट न होकर अपीलकर्ता द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 11/06/2015 को आयोग में समाहित की गई, जिसमें आज से पूर्व दिनांक 03/08/2015 की तिथि नियत की गई थी।

2. **दिनांक 03/08/2015** को अपीलकर्ता अथवा लोक सूचना अधिकारी में से कोई भी उपस्थित नही थे, जबकि अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बुद्धिराम बिल्जवाण उपस्थित थे, अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 04/09/2015 की तिथि नियत की गई।

3. **दिनांक 04/09/2015** को भी अपीलकर्ता अथवा लोक सूचना अधिकारी में से कोई भी उपस्थित नही थे, जबकि अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बुद्धिराम बिल्जवाण उपस्थित थे, उनके द्वारा अपीलीय अधिकारी की आख्या सलंग्नकों सहित आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसे उस दिन पत्रावली एंव कार्यवाही का भाग बनाया गया। लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण उस दिन तिथि परिवर्तित कर दिनांक 01/10/2015 की तिथि नियत की गई।

4. **दिनांक 01/10/2015** को अपीलार्थी अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही थे, जबकि लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संजय सिंह उपस्थित थे, उन्होनें लोक सूचना अधिकारी की आख्या सलंग्नकों सहित आयोग में प्रस्तुत की, जिसे पत्रावली एंव कार्यवाही का भाग बनाया गया। तथा अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बुद्धिराम बिल्जवाण उपस्थित थे। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु तिथि परिवर्तित कर दिनांक 09/12/2015 की तिथि नियत की गई।

5. **दिनांक 09/12/2015** को भी अपीलार्थी उपस्थित नही थे, तथा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु आज की तिथि प्रदान की गई।

6. आज सुनवाई के समय उभयपक्षों को पुकारा गया।

7. आज अपीलकर्ता स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही हैं, न ही उनकी कोई आख्या आयोग को प्राप्त हुई, जबकि लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संजय सिंह उपस्थित है, तथा अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बुद्धिराम बिल्जवाण उपस्थित है।

8. सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी एंव अपीलीय अधिकारी की आख्याओं का अवलोकन किया गया। अपने मूल अनुरोध पत्र दिनांक 20/11/2014 को अपीलार्थी द्वारा 02 बिंदुओं की सूचना एस0डी0एम0, विकासनगर से चाही गई थी, जो धारा–6(3) में अंतरित होकर सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना ग्राम आरकेडिया ग्रान्ट, बनियावाला सर्वे नायब तहसीलदार सदर के अधिनस्त होने के फलस्वरूप उनसे आख्या ली गई, उन्होनें अपनी आख्या के साथ वांछित नक्शे व खसरे की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जिन्हें मूल रूप में अपीलकर्ता को दिनांक 17/01/2015 को स्पीड पोस्ट द्वारा समय से उपलब्ध करा दिया गया था तथा बाकि सूचनाओं को अपीलार्थी द्वारा अपूर्ण बताया गया था वह भी लोक सूचना

अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित की गई, इस प्रकार अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचनायें लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से प्रदान कर दी गई है, तथा सूचनायें प्रदान करने में जो विलम्ब हुआ है वह सूचनाओं को सद्‌भावपूर्वक अन्य स्थानों से एकत्रित करने के कारण हुआ है, जो क्षम्य है, क्योंकि इस अपील में समस्त सूचनायें अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है, अतः इस आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

अतः इस अभिमत के साथ इस अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

04/02/2016

(राजेन्द्र कोटियाल)
राज्य सूचना आयुक्त